

क्रमांक एफ 2(घ)(101)(निल.)आरएमएस(जांच)/डीएलबी/2022/ 3273

दिनांक 23/08/22

आदेश

पुलिस अधीक्षक-प्रथम, कार्यालय महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर के पत्र क्रमांक भनिब/अशा/3/2022/2678-80 दिनांक 03.08.2022 के अनुसार, श्री मधराज डूडी अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका लाडनू द्वारा परिवादी श्री राजेश कुमार भोजक, निवासी पुराने सिनेमा हाल के पीछे, स्टेशन रोड लाडनू जिला नागौर से राशि रुपये 20,000/- (अक्षरे बीस हजार रुपये) बतौर रिश्वत प्राप्त करने पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल यूनिट, अजमेर द्वारा दिनांक 02.08.2022 को रंगे हाथों गिरफ्तार किया जा कर न्यायिक अभिरक्षा में रखा गया है। ब्यूरो द्वारा इनके विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 305/2022 पंजीबद्ध की गयी है।

उपरोक्तानुसार प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, चूंकि आरोपी श्री मधराज डूडी 48 घण्टे से अधिक अवधि के लिए न्यायिक अभिरक्षा में रहे हैं, अतः भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर द्वारा निलम्बन एवं इनके मुख्यालय परिवर्तन हेतु की गयी अनुशंसा दिनांक 03.08.2022 को दृष्टिगत रखते हुए, कार्मिक(क-3) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.2 (157)कार्मिक/क-3/97 जयपुर, दिनांक 07 जुलाई, 2010 में दिये गये निर्देशों एवं राजस्थान सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-13 के अन्तर्गत किये गये प्रावधानों में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री मधराज डूडी अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका लाडनू को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में लेने की दिनांक 02.08.2022 से ही एतद् द्वारा निलम्बित किया जाता है।

निलम्बन काल में इन का मुख्यालय जयपुर में रहेगा तथा इनको नियमानुसार देय जीवन निर्वाह भत्ते का भुगतान नगर पालिका लाडनू से किया जावेगा।

(हृदेश कुमार शर्मा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

दिनांक :

क्रमांक एफ 2(घ)(101)(निल.)आरएमएस(जांच)/डीएलबी/2022/
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. जिला कलेक्टर, नागौर।
2. पुलिस अधीक्षक-प्रथम, कार्यालय महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक भनिब/अशा/3/2022/2678-80 दिनांक 03.08.2022 के क्रम में प्रेषित है।
3. क्षेत्रीय उप निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
4. अध्यक्ष/अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका लाडनू।
5. श्री मधराज डूडी, जरिए नगर पालिका लाडनू।
6. उप निदेशक-आईटी, निदेशालय को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
7. संस्थापन अनुभाग-आरएमएस, निदेशालय/सुरक्षित पत्रावली।

(राकेश कुमार)

अतिरिक्त निदेशक